न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 72/2017
प्रविष्टि दिनांक 04.07.2017

दयाराम पुत्र पांचू जाति मीणा निवाासी मीणो की झोपडिया तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार उनियारा दिनांक 09.03.2017. धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री राजेश गुर्जर द्वितीय, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 02.11.2017**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने आदेश दिनांक 09.03.2017 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 1428,1429,1430 रकबा 1.66 है0 किस्म सिवायचक वाके ग्राम उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नही किया है,न ही उसका आज की तारीख मे कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की झूंठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरूद्व यह कार्यवाही अमल मे लाई गई है। अपीलांट भविष्य मे किसी सरकारी भूमि पर कभी कोई अतिक्रमण नही किया है न करेगा। अपीलांट मजदूरी पेशा व्यक्ति है,मजदूरी करके अपना एंव अपने परिवार का भरण—पोषण करता है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजीयात मे कभी कोई फसल काश्त नही की गई है न ही काटी गई।अपीलाण्ट ने कब्जा हटाने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय मे उपस्थित नही हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे पश्चातवर्ती अतिकमी होने का उल्लेख किया गया है। अतिकमी बार बार अतिकमण करने का आदी है,उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिकमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुए है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष मे साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था। अपीलान्ट द्वारा ग्राम उनियारा की खसरा नम्बर 1428,1429,1430 रकबा 1.66 है0 किस्म सिवायचक भूमि पर सरसों की फसल काश्त कर अतिकमण किया है। पटवारी हल्का ने अपने बयानो मे अंकित किया है कि उक्त भूमि पर अतिकमी ने गत वर्ष भी इसी आराजी पर अतिकमण किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 29.02.2016 से बेदखल किया गया है।इससे सिद्व है कि अपीलण्ट पश्चातवर्ती अतिकमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट ने शपथ पत्र पेश किया है कि मेने उक्त भूमि पर से कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य मे अतिकमण नहीं करूॅगा व उक्त भूमि पर कच्चा व पक्का निर्माण नहीं है।ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.03.2017 द्वारा अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि अपीलाण्ट द्वारा शास्ती राजकोष मे जमा करादी है तथा अपीलाण्ट ने अतिकमित भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया है। तहसीलदार उनियारा यह सुनिश्चित करले की अपीलाण्ट का अतिकमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलाण्ट अतिकमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2017को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर, टोंक
टोंक